विनियम क्रमांक - 31

स्वर्गीय पं0 रामनारायण प्रसाद पाण्डेय स्मृति स्वर्ण पदक

दानदाताः- श्रीमती शांति पाण्डेय, पत्नी स्व. पंण् रामायण प्रसाद पाण्डेय,
अमहिया रीवा ;म.प्र.

पदक हेतु दान- रूपये 10,000/- ; दस हजार रूपये द्ध रसीद क्रमांक 342/50
राशि दिनांक 9.12.1999 व्दारा जमा ।

1. दान दाता व्दारा जमा की गई राशि विश्वविद्यालय व्दारा सावधिक खाते में रखी जावेगी तथा उसकी ब्याज की राशि से प्रति वर्ष स्वर्ण पदक प्रदान किया जावेगा ।

2. इसे स्व0 पं0 रामायण प्रसाद पाण्डेय स्मृति स्वर्ण पदक कहा जायेगा और स्वर्ण पदक के एक ओर यह उत्कीर्ण होगा ।

3. स्वर्ण पदक प्रति वर्ष विधि स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा में सर्वोत्तम अंकों के साथ उत्तीर्ण करने वाले छात्र/छात्रा को प्रदान किया जावेगा तथा यह पदक वर्ष 1999 की मुख्य परीक्षा से प्रदान किया जावेगा ।

4. यह पदक प्रति वर्ष दीक्षान्त अथवा स्वर्ण पदक अलंकरण समारोह में प्रदान किया जावेगा तथा उसकी सूचना दान दाता को दी जावेगी ।

विनियम क्रमांक - 32

विद्यार्थी दुर्घटना सहायता कोष

नियम

1. नाम- इस कोष का नाम विद्यार्थी दुर्घटना सहायता कोष होगा ।

2. आशय- इस कोष का आशय विश्वविद्यालय अध्यापन विभाग तथा संबंधित महाविद्यालय के नियमित दर्ज छात्रों को दुर्घटना की अवस्था में चिकित्सा के लिये सहायता उपलब्ध कराना होगा ।

3. कोष की आय के स्त्रोत- कोष की आय के निम्नलिखित स्त्रोत होंगे ।

1. विश्वविद्यालय अध्यापन विभागों तथा महाविद्यालयों के समस्त नियमित छात्रों से प्रति वर्ष एक रूपये की धनराशि, अन्य फीस के साथ कोष के लिये प्राप्त की जायेगी ।

2. इच्छुक व्यक्तियों व्दारा कोष के लिये दान भी प्राप्त किया जा सकेगा ।

4. कोष का संधारण- प्रत्येक विश्वविद्यालय अध्यापन विभाग तथा महाविद्यालय व्दारा नियम 3 के अंतर्गत प्राप्त धनराशि सचिव, विद्यार्थी दुर्घटना कोष वित्ताधिकारी की ओर बैंक खाते में जमा कराने हेतु अंतरित की जावेगी । सचिव प्रत्येक वर्ष प्रत्येक महाविद्यालय से प्राप्त धनराशि का हिसाब लेजर रजिस्टर में माहवार रखेंगे । वे समस्त आय एवं व्यय की प्रविष्टि हेतु पृथक केश बुक भी रखेंगे ।

5. प्रशासकीय ढांचा- कोष के संचालन हेतु निम्नानुसार एक समिति होगी -

1. अध्यक्ष, छात्र कल्याण मण्डल अध्यक्ष

2. अध्यक्ष, विश्वविद्यालय छात्र संघ सदस्य

3. विश्वविद्यालय कार्य परिषद व्दारा मनोनीत सदस्य सदस्य

4. संकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण सदस्य

5. छात्रसंघ के निकटतम पूर्व अध्यक्ष जो चालू सत्र सदस्य

   में विश्वविद्यालय का नियमित छात्र हो.

6. उपकुलसचिव ; प्रशासन द्ध सदस्य सचिव

संचालन समिति की एक सदस्य सहयोजित करने का अधिकार रहेगा । कोष के प्रशासन के लिये आवश्यक लिपिकीय सहायता प्राप्त करने हेतु समिति किसी कार्यरत व्यक्ति को यथोचित पारिश्रमिक दे सकेगी ।

6. पात्रता - कोष के अंतर्गत केवल निम्नलिखित सहायता के पात्र होंगे :

1. जो विश्वविद्यालय के अध्यापन विभाग/संबंधित महाविद्यालय के नियमित छात्र हों तथा

2. जिनके पिता/पालक की वार्षिक आय रूपये 10000/- से अधिक न हो ।

3. महाविद्यालय/विश्वविद्यालय अध्यापन विभागों में अध्ययनरत जो विश्वविद्यालय अध्यापन विभाग/महाविद्यालय छोड़ने के पश्चात् औद्योगिक /व्यावसायिक ट्रेनिंग हेतु मदद दी जायेगी बशर्ते की संस्था जहां ट्रेनिंग लेने वाला है वह संस्था मान्यता प्राप्त संस्था हो । इस प्रकार की मदद महाविद्यालय/अध्यापन विभाग छोड़ने के एक साल तक दी जायेगी । बशर्ते की अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के क्षेत्राधिकार में रह कर ट्रेनिंग लेता है । इसके अतिरिक्त रीवा का स्थाई निवासी होना चाहिये और रीवा में निवास कर रहा हो ।

4. विश्वविद्यालय अध्यापन विभाग/महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित शिविर, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रर्दशनी, नाटक जो विकलांग छात्रों के लिये उपयोगी शिक्षाप्रद हो, शिविर प्रर्दशनी व्दारा सांस्कृतिक कार्यक्रम नाटक हेतु एक हजार रूपये अधिकतम राशि आर्थिक दान स्वरूप सहायता दी जा सकेगी, परन्तु इसके लिये प्रधानाचार्य / विश्वविद्यालय विभागाध्यक्ष के मापर्फत निवेदन करना होगा ।

5. यह धनराशि केवल मांग करने की स्थिति में ही स्वीकृत की जा सकेगी ।

7. आवेदन की विधि -

1. आवेदन स्वयं इच्छुक विकलांग छात्र व्दारा किया जायेगा । यह आवेदन निर्धारित आवेदन पत्रों में होगा ।

2. आवेदन-पत्र सचिव विकलांग छात्र सहायता कोष ;सहायक कुलसचिव,प्रशासनद्ध को सम्बोधित होगा ।

3. विद्यार्थी के छात्रावास के सदस्य होने की स्थिति में छात्रावास वार्डन तथा महाविद्यालय के प्रधानाचार्य/अध्यापन विभाग के विभागाध्यक्ष के व्दारा आवेदन-पत्र अनुशंसित किया जायेगा ।

4 आवेदन के दैनिक छात्र ;डे स्कालर द्ध होने की स्थिति में आवेदन संकायाध्यक्ष तथा महाविद्यालय के प्रधानाचार्य/ अध्यापन विभाग के विभागाध्यक्ष व्दारा अनुशंसित कराना होगा ।

5. स्वीकृत धनराशि आवेदन कर्ता छात्र/छात्रा को दी जायेगी ।

8. प्रशासकीय ढांचा - कोष के संचालन हेतु निम्नानुसार एक समिति होगी -

1.	अध्यक्ष छात्र कल्याण मण्डल	अध्यक्ष
2.	अध्यक्ष विश्वविद्यालय छात्र संघ	सदस्य
3.	विश्वविद्यालय कार्य परिषद् व्दारा मनोनीत एक सदस्य	सदस्य
4.	संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण	सदस्य
5.	सहायक कुलसचिव ; प्रशासन द्ध	सदस्य सचिव

संचालित समिति को एक सदस्य सहयोजित करने का अधिकार होगा । कोष के संचालन के लिये आवश्यक लिपिकीय सहायता प्राप्त करने हेतु समिति किसी कार्यरत व्यक्ति को यथोचित पारिश्रमिक दे सकेगी ।

9. अन्य- प्रत्येक वर्ष मई माह के अंत में कोष के सचिव एक लेखा जोखा तैयार करेंगे जिसमें पूर्व वर्ष की आमदनी, वर्ष में हुई आमदनी खर्च तथा बचत का ब्यौरा होगा । यह लेखा जोखा एक रिपोर्ट के साथ जून माह के प्रथम सप्ताह में कार्य परिषद् को प्रस्तुत किया जायेगा ।

10. यह नियम जिस सत्र में इस कोष हेतु राशि एकत्रित की गई है उसी सत्र से लागू मानी जायेगी ।

विकलांग छात्र सहायता कोष

नियम

1. कोष का नाम- इस कोष का नाम विकलांग छात्र सहायता कोष होगा ।

2. परिभाषा- केन्द्रीय शासन व्दारा निर्धारित परिभाषा की परिधि में विकलांग छात्र मान्य होगा ।

3. कोष के आय के स्त्रोत- कोष के आय के निम्नलिखित स्त्रोत होंगे ।

   1. विश्वविद्यालय अध्यापन विभाग तथा महाविद्यालयों के समस्त नियमित छात्र/छात्राओं से प्रतिवर्ष रूपया 1/- की धनराशि, अन्य शुल्क के साथ कोष के लिये वसूल की जायेगी ।

   2. ट्रस्ट/धनीवर्ग, सामाजिक संगठनों एवं इच्छुक दान दाताओं व्दारा कोष के लिये धन भी प्राप्त किया जा सकेगा ।

4. कोष का संधारण - प्रत्येक विश्वविद्यालय अध्यापन विभाग तथा महाविद्यालय व्दारा नियम 3 के अंतर्गत प्राप्त धनराशि सचिव, विकलांग छात्र सहायता कोष ;कुलसचिवद्ध की ओर बैंक खाता में जमा कराने हेतु अन्तरित की जायेगी ।

सचिव प्रत्येक वर्ष प्रत्येक महाविद्यालय से प्राप्त धनराशि का हिसाब लेजर रजिस्टर में माहवार रखेंगे । वे समस्त आय एवं व्यय की प्रविष्टि हेतु पृथक केशबुक भी रखेंगे ।

5. उद्देश्य- निम्नलिखित कार्यो के लिये सहायता प्रदान की जायेगी -

   1. शुल्क मुक्ति बशर्ते की किसी अन्य स्त्रोत से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती हो ।

   2. चिकित्सा एवं उपकरण हेतु आर्थिक सहायता देना ।

   3. ट्राई-साईकिल, कृतिम अंग, बैसाखी, टेबल कुर्सी, विशेष प्रकार के जूते ।

   4. पुस्तकें क्रय करने हेतु रूपये 100/- ; रूपये एक सौ द्ध की अधिकतम राशि दी जा सकेगी ।

   5. टाईपिंग, स्टेशनरी, एम ए/एम काम/एम एस सी/शोध प्रबंध डिसर्टेशन/प्रोजेक्ट रिपोर्ट हेतु रूपये 250/- अधिकतम राशि दी जायेगी ।

   6. पी.एच.डी. थीसीस हेतु रूपये 500/- अधिकतम राशि दी जायेगी ।

6. सहायता के पात्र - कोष के अंतर्गत केवल निम्नलिखित सहायता के पात्र होंगे -

1. जो विश्वविद्यालय के अध्यापन विभाग/संबंधित महाविद्यालय के नियमित छात्र/छात्रा हों, या

2. जिनके पिता/पालक की वार्षिक आय रूपये 15,000/- से अधिक न हो ।

7. पात्रता की शर्ते- केवल निम्नलिखित अवस्थाओं में सहायता दी जा सकेगी -

1. सहायता का इच्छुक छात्र किसी दुर्घटना के पफलस्वरूप शारीरिक रूप से आहत हुआ हो ।

2. दुर्घटना का संबंधी ऐसी मार-पीट हिंसक आन्दोलन अथवा झगड़े से न हो जिसमें इच्छुक छात्र स्वयं संबंधित हो ।

3. दुर्घटना के पफलस्वरूप मृत्यु होने पर ।

4. दुर्घटना की पुलिस में रिपोर्ट की गई हो ।

8. केवल निम्नलिखित परिस्थितियां ही शारीरिक आघात मानी जावेगी -

1. शरीर अथवा चमड़ी के किसी भाग का नष्ट हो जाना ।

2. आंख का फूट जाना ।

3. कानों से बहरा हो जाना ।

4. शरीर के किसी अंग अथवा जोड़ का नष्ट हो जाना ।

5. मस्तिष्क अथवा शरीर का स्थाई रूप से विकृत हो जाना ।

6. दांत अथवा हड्डी का स्थानच्युत हो जाना अथवा टूट जाना ।

7. ऐसी कोई चोट होना जिससे जीवन नष्ट होने की संभावना हो गई हो अथवा 20 दिन से अधिक दैनिक गतिविधिया रूक गई हों ।

8. ऐसी कोई चोट जिसके इलाज के लिये 100/- रूपये या इससे अधिक धनराशि व्यय करना आवश्यक हो।

9. सहायता का परिमाप -

1. सहायता की धनराशि कम से कम 100/- रूपये तथा अधिक से अधिक 1000/- रूपये होगी जो केवल इलाज के लिये दी जायेगी । सहायता सरकारी अस्पताल में भर्ती होने की दशा में ही दी जायेगी और इस हेतु वास्तविक राशि का आंकलन सरकारी अस्पताल के प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जावेगा जो 1000/- रूपये

तक सीमित होगा, परन्तु यदि स्थानीय शासकीय चिकित्सालय के सक्षम प्राधिकारी दुर्घटना का कोई प्रकरण चिकित्सा हेतु इन्दौर के बाहर निर्दिष्ट करेगा तो ऐसे प्रकरणों में सहायता की राशि समिति व्दारा गुणवत्ता के आधार पर 3000/- रूपये तक दी जा सकेगी ।

2. सहायता का परिमाप निश्चित करते समय समिति इलाज में होने वाला संभावित व्यय तथा विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध धनराशि को ध्यान में रखेगी । सहायता का यह आशय नहीं रहेगा कि होने वाले खर्च का पूरा परिमाप ही दिया जाय । किसी भी हालत में सहायता की धनराशि होने वाले खर्च से अधिक नहीं होगी ।

3. दुर्घटना के पफलस्वरूप मृत्यु होने पर पालक/हितैषी/छात्रावास वार्डन/महाविद्यालय के प्रधानाचार्य/अध्यापन विभाग के विभागाध्यक्ष व्दारा आवेदन प्राप्त होने पर मृत विद्यार्थी के अभिभावक/उत्तराधिकारी को 5000/- रूपये की अनुग्रह राशि का भुगतान समिति व्दारा स्वीकृत किया जा सकेगा । यह धनराशि केवल मांग करने की स्थिति में ही स्वीकृत की जायेगी ।

10. आवेदन की विधि -

1. आवेदन स्वयं इच्छुक छात्र अथवा उसके अशक्य होने की दशा में उसके पालक अथवा अन्य हितैषी के व्दारा किया जा सकेगा ।

2. आवेदन सचिव, विद्यार्थी दुर्घटना सहायता कोष ;उपकुलसचिव, प्रशासन को सम्बोधित होगा ।

3. विद्यार्थी के छात्रावास के सदस्य होने की स्थिति में छात्रावास वार्डन तथा महाविद्यालय के प्रधानाचाय /अध्यापन विभाग के विभागाध्यक्ष के व्दारा आवेदन पृष्ठांकित किया जायेगा ।

4. आवेदन के दैनिक छात्र ;नियमित छात्र होने की दशा में आवेदन संकायाध्यक्ष तथा महाविद्यालय के प्रधानाचार्य /अध्यापन विभाग के विभागाध्यक्ष व्दारा पृष्ठांकित किया जायेगा ।

5. पृष्ठांकित करने वाले अधिकारी इस बात का सत्यापन करे कि चोट दुर्घटनावश लगी है तथा वह नियम 8 में वर्णित श्रेणी में आती है ।

11. आवेदन का प्रारूप - आवेदन सादे कागज पर होगा जिसमें निम्नलिखित तथ्य दिये जावेंगे :

1. आवेदक का नाम
2. पिता/पालक का नाम
3. पिता/पालक की वार्षिक आय
4. महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय अध्यापन विभाग का नाम ;जिसका कि वह छात्र हैद्ध

5. दुर्घटना का स्थान समय एवं स्वरूप

6. यदि पुलिस में रिपोर्ट हुई हो तो उसका विवरण

7. चोट का स्वरूप

8. यदि अस्पताल मे भर्ती हो तो उसका नाम एवं वार्ड क्रमांक

9. इलाज की संभावित अवधि तथा उसमें लगने वाला अनुमानित खर्च का ब्यौरा ।

12. आवेदन की स्वीकृति-

1. आपात स्थिति में आवेदन प्राप्त होते ही सचिव संबंधित छात्रावास वार्डन/प्रधानाचार्य, विभागाध्यक्ष, छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष आदि से त्वरित गति से टेलीपफोन आदि के माध्यम से सम्पर्क करेंगे । यदि प्रथम दृष्टि में यह पुष्टि हो जाय कि आवेदक के पिता/पालक की वार्षिक आमदनी रूपये 15000/- प्रति वर्ष से कम है तथा दुर्घटना एवं चोट का स्वरूप नियम 8 के अंतर्गत आता है तो वे रूपये 100/- तक की धनराशि तुरंत उपयोग के लिये अग्रिम के रूप में दे सकेंगे ।

2;1 के अंतर्गत कार्यवाही के तुरंत बाद शीघ्रातीशीघ्र समिति की बैठक बुलाकर प्रकरण पर विचार किया जायेगा तथा समिति की अनुशंसा के अनुरूप कुलसचिव वास्तविक धनराशि स्वीकृत करेंगे ।

3. चूंकि धनराशि इलाज के लिये दी जाती है, छात्र की मृत्यु हो जाने की अवस्था में भी यह धनराशि मृत्यु पूर्व हुये इलाज का खर्च पूरा करने के लिये भी दी जा सकती है ।

4. स्वीकृत धनराशि आवेदनकर्ता छात्र को दी जायेगी । छात्र के अत्याधिक गंभीर अवस्था में होने की स्थिति में यह धनराशि छात्रावास वार्डन, संकायाध्यक्ष अथवा छात्र के पालन को कुलसचिव के निर्देशानुसार दी जायेगी । मरणोपरान्त दी जाने वाली धनराशि कुलसचिव के निर्देशानुसार ऐसे व्यक्ति को दी जावेगी जो छात्र की बीमारी की अवधि में हुये खर्च का दायित्व वहन कर रहा हो ।

13. अन्य - प्रत्येक वर्ष मई माह में कोष के सचिव एक लेखा जोखा तैयार करेंगे जिसमें पूर्व वर्ष की आमदनी, वर्ष में हुई आमदनी, खर्चा तथा बचत का ब्यौरा रहेगा । यह लेखा जोखा एक रिपोर्ट के साथ जून माह के प्रथम सप्ताह में कार्य परिषद को प्रस्तुत किया जायेगा ।

14. यह नियम जिस सत्र से इस कोष हेतु राशि इकट्ठी की गई, उसी सत्र से लागू माने जायेंगे ।

विनियम क्रमांक – 34

''श्रीमती श्रवण कुमारी स्वर्ण पदक''

दानदाता :– श्रीमती रश्मि तिवारी पत्नी श्री सुन्दरलाल तिवारी
सांसद अमहिया रीवा (म.प्र.)

दान राशि :– रुपये 12,000.00 (बारह हजार रुपये) रसीद क्रमांक 20/50
दिनांक 30.10.99 द्वारा जमा।

1. दानदाता द्वारा जमा की गई राशि विश्वविद्यालय द्वारा सावधिक खाते में रखी जावेगी तथा उसकी ब्याज की राशि से प्रतिवर्ष स्वर्ण पदक प्रदान किया जावेगा।

2. इसे ''श्रीमती श्रवण कुमारी स्मृति स्वर्ण–पदक'' कहा जायेगा और स्वर्ण पदक के एक ओर यह उत्कीर्ण होगा।

3. यह स्वर्ण पदक वर्ष 1999 के लिये डिप्लोमा इन आफथल्मोलाजी (डी.ओ.एम.एस.) में सर्वोच्च अंक पाने वाले छात्र/छात्रा को प्रदान किया जायेगा तथा वर्ष 2000 से क्रमशः मेडिसिन एवं सर्जरी में क्रमानुसार सर्वोच्च अंक पाने वाले को यह पदक दिया जावेगा तथा जब इनके क्रम पूरे हो जायेंगे तो इसे फिर से रोटेट किया जावेगा।

4. यह पद प्रतिवर्ष दीक्षान्त अथवा स्वर्ण पदक अलंकरण समारोह में प्रदान किया जावेगा तथा उसकी सूचना दानदाता को दी जावेगी।

विनियम क्रमांक – 35

"श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल स्वर्ण पदक"

दाता :– सुश्री शीला गोयल

पुस्तकालय दिवस, शासकीय कन्या महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

राशि :–

1. रुपये 6,000.00 (छः हजार रुपये)

   रसीद क्रमांक 296/49 दिनांक 17.2.96

2. रुपये 4,000.00 (चार हजार रुपये)

   रसीद क्रमांक 65/75 दिनांक 6.1.2000.

1. यह राशि "श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल स्मृति स्वर्ण पदक" कहलायेगी और स्वर्ण पदक के एक ओर यह उत्कीर्ण होगा।
2. स्वर्ण पदक प्रति वर्ष एम.ए. फाईनल परीक्षा हिन्दी में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को प्रदान किया जावेगा तथा यह पदक वर्ष 1997 की मुख्य परीक्षा से प्रदान किया जावेगा।
3. यह पदक प्रति वर्ष दीक्षान्त समारोह में अथवा स्वर्ण पदक अलंकरण समारोह में प्रदान किया जावेगा तथा उसकी सूचना दानदाता को दी जावेगी।
4. दानदाता द्वारा जमा की गई राशि विश्वविद्यालय द्वारा सावधिक खाते में रखी जावेगी तथा उसकी ब्याज की राशि से प्रति वर्ष स्वर्ण पदक प्रदान किया जावेगा।

संशोधित विनियम क्रमांक – 37

"रानी कृष्णावकुमारी देवी वेदान्त विनियमन"

दानदाता :– रानी कृष्णाकुमारी रौवाइन साहिबा, चुरहट

दान राशि :– राव रणबहादुर सिंह, चिन्मय आश्रम, लक्ष्मणपुर, रीवा–486440

दान राशि :– रुपये 1,00,000.00 (एक लाख रुपये) मात्र।

1. यह विनियमन रानी कृष्णाकुमारी देवी विनियमन कहलायेगा। इसे बैंक में स्थायी खाते में रखकर इसके ब्याज से प्राप्त होने वाली राशि को निम्न रूप में व्यय किया जावेगा।

2. हर वर्ष जनवरी के 27 तारीख अथवा उसके आस–पास की तिथि पर अखिल भारतीय भाषण माला का आयोजन विश्वविद्यालय के अद्वैत वेदान्त पीठ द्वारा किया जावेगा। वर्ष में दो भाषण मालाओं का आयोजन किया जायेगा, दूसरे की तिथि विश्वविद्यालय अपनी सुविधानुसार निर्धारित करेगा।

3. भाषण माला का विषय अद्वैत वेदान्त अथवा अखिल भारतीय दर्शन से संबंधित हो, विषय के निर्धारण में प्रयास हो कि युवा वर्ग को जीवन की व्यवहारिक कला का ज्ञान मिले।

4. वर्ष में प्राप्त ब्याज राशि में से रुपये 1000.00 (एक हजार रुपये) की राशि वेदान्त साहित्य के संग्रहण पर व्यय किया जाय जिसमें पुस्तक क्रम भाषण माला को संकलित कर प्रकाशित करना आदि सम्मिलित हो। शेष धन भाषण माला के आयोजन में व्यय किया जावेगा।

5. संगोष्ठी के उद्घाटन तथा समापन के कार्यक्रम में रौवाइन साहिबा का चित्र रखा जाय तथा उनके पुत्र, पौत्र अथवा प्रपौत्र को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाय।

विनियम क्रमांक – 42

वैद्य श्री नन्द नन्दन व्यास स्मृति स्वर्ण पदक

दानदाता :– डॉ. लक्ष्मी रमण व्यास, वैद्यन टोला उपरहटी, रीवा (म.प्र.)

पदक हेतु दान :– रुपये 10,000.00 (दस हजार रुपये)

रसीद क्रमांक 365/83 दिनांक 15.3.2001.

1. दान दाता द्वारा जमा की गई राशि विश्वविद्यालय द्वारा सावधिक खाते में रखी जावेगी तथा उसकी ब्याज की राशि से प्रतिवर्ष स्वर्ण पदक प्रदान किया जावेगा।

2. इसे ''वैद्य श्री नन्द नन्दन व्यास स्मृति पदक'' कहा जावेगा और स्वर्ण पदक के एक ओर यह उत्कीर्ण होगा और दूसरी तरफ विश्वविद्यालय की सील होगी।

3. स्वर्ण पदक प्रतिवर्ष आयुर्वेद संकाय की बी.ए.एम.एस. (आयुर्वेदाचार्य) तृतीय व्यावसायिक की अंतिम मुख्य परीक्षा प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण होने के साथ ही सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र को दिया जावेगा। इस तरह स्वर्ण पदक वर्ष 2002 की मुख्य परीक्षा से प्रदान किया जावेगा।

4. स्वर्ण पदक प्रतिवर्ष दीक्षान्त समारोह अथवा स्वर्ण पदक अलंकरण समारोह में प्रदान किया जावेगा तथा उसकी सूचना दानदाता को दी जावेगी।

5. जिस विद्यार्थी को यह पदक प्रदान किया जाये उसकी उचित पूर्व सूचना दानदाता को दी जाये।

(डॉ. रामसुमन पाण्डेय)
कुल सचिव